शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या 1125/नौ–1–2024–123सा/2015

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ.प्र.।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
(3) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
(4) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनॉक 06 मई, 2024।

विषयः निकाय सीमान्तर्गत मैनहोल्स तथा डक्ट को ढके जाने के लिए मानक संचालन प्रकिया (SOP) निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि दिनांक 23.04.2024 को नगर निगम लखनऊ सीमान्तर्गत जनकीपुरम् विस्तार सेक्टर 10 में खुले मैनहोल्स में गिरने से एक बच्चे की मृत्यु हुई। नगरीय निकायों में इस तरह की घटनाओं का होना अत्यंत गम्भीर एवं चिन्ता का विषय है। ऐसी घटनाओं से शासन एवं प्रशासन दोनो की छवि धूमिल होती है।

2. बच्चे की मृत्यु से संबंधित प्रकरण में दैनिक समाचार पत्र 'टाम्इस ऑफ इण्डिया लखनऊ' में दिनांक 24.04.2024 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "8 Yr – old boy falls into a manhole, dies." को स्वतः संज्ञान लेते हुए मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–365 of 2024 "Suo-Motu Inre: Open Manholes and Ducts within the municipal limits of Lucknow posing a danger to life of the residents" Vs. State of U.P. & others. में दिनांक 24.04.2024 को पारित आदेश में निम्नलिखित तथ्यों को कोड किया गयाः–

"We have perused the news item placed before us. This is an important matter involving interest of the public at large which requires attention of the Municipal Corporation. We would also like to know the correct facts as to how such an incident occurred and whether there is any lapse on the part of the Municipal Authorities; whether there are other manholes or ducts in the city which are lying open, if so, what steps are being taken in this regard by the Municipal Authorities, so that life and well being of residents of this city is not endangered on account of negligence and non-performance of statutory obligation by the Municipal Corporation its officers and employees.

Let a suo-motu Public Interest Litigation be registered in this regard titled as "Suo-Motu Inre: Open Manholes and Ducts within the municipal limits of Lucknow posing a danger to life of the residents".

3. निकाय सीमान्तर्गत स्थित मैनहोल्स एवं डक्ट के खुले होने के कारण भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैनहोल्स एवं डक्ट को ढके जाने के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित किया जाता है जो निम्नवत् है–

(1) मैनहोल्स एवं डक्ट के खुले होने संबंधी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक जोन में जोनल अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

1	**जोनल अधिकारी**	अध्यक्ष
2	सहायक अभियंता / अवर अभियंता जलकल	सदस्य–सचिव
3	जोनल सेनेटरी ऑफिसर	सदस्य

नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा:–

1	**प्रभारी स्थानीय निकाय**	अध्यक्ष
2	अधिशासी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत	सदस्य–सचिव
3	सहायक अभियंता / अवर अभियंता संबंधित नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत	सदस्य

(2) इस समिति द्वारा सप्ताहिक रूप से सीवर सिस्टम का निरीक्षण किया जायेगा तथा यदि निरीक्षण के दौरान मैनहोल्स अथवा डक्ट खुला पाया जाता है तो समिति द्वारा अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर खुले मैनहोल्स / डक्ट को ढके जाने की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना रियल टाईम फोटोग्राफ्स सहित नगर आयुक्त / जिलाधिकारी (नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के मामले में) को उपलब्ध करायी जायेगी। तकनीकी समिति द्वारा जब तक मैनहोल्स को ढक नहीं दिया जाता तब तक वहाँ पर किसी कार्मिक को लाल झण्डे के साथ तैनात किया जायेगा। ताकि आम जनमानस / अन्य जीवित प्राणियों को मैनहोल्स में गिरने से रोका जा सके।

(3) निकायों में प्रतिदिन **सुबह 05:00 बजे से** 08:00 बजे तक सफाई कार्य में लगे सफाई कार्मिकों द्वारा खुले मैनहोल्स एवं डक्ट के संबंध में सूचना सफाई सुपरवाइजर को उपलब्ध कराया जायेगा। सफाई सुपरवाइजर द्वारा

खुले मैनहोल्स एवं डक्ट की सूचना रियल टाईम फोटोग्राफस् सहित तकनीकी समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्थानीय निकाय द्वारा मैनहोल्स/डक्ट के खुले होने इत्यादि की शिकायतों का जनमानस से प्राप्त करने के लिए एक complaint redressal system/helpline No. जनमानस को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसका व्यापक प्रचार प्रसार नागरिकों के मध्य कराया जायेगा।

(5) तकनीकी समिति द्वारा पार्षदगणों/सभासदगणों से भी उनके वार्डो में मैनहोल्स/डक्ट के खुले रहने के संबंध में सूचना प्राप्त किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जायेगी।

सफाई कर्मचारी/सफाई सुपरवाइजर, आम जनमानस तथा पार्षदगणों/सभासदगण अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त मैनहोल्स अथवां डक्ट के खुले रहने की शिकायत पर उसका निस्तारण समिति द्वारा अधिकतम 24 घण्टे के अन्दर कराया जायेगा तथा उक्त की सूचना रियल टाईम फोटोग्राफस् सहित नगर आयुक्त/जिलाधिकारी (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मामले में) को उपलब्ध करायी जायेगी। शिकायत का निस्तारण किये जाने के पश्चात यदि मेनहोल्स के खुले रहने के कारण कोई अप्रिय दुर्घटना होती है, तो समिति के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(6) तकनीकी समिति के द्वारा की गयी कार्यवाही के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए नगर निगम की स्थिति में नगर आयुक्त द्वारा अपनी अध्यक्षता में एक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सदस्य के रूप में महाप्रबन्धक जलकल एवं मुख्य अभियंता जलकल सम्मिलित होंगे। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में एक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सदस्य के रूप में प्रभारी स्थानीय निकाय एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियंता (सिविल) होंगे। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पाक्षिक रूप से तकनीकी समिति के कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(7) खुले मैनहोल्स/क्षतिग्रस्त मैनहोल्स तथा मैनहोल्स के नियमित सफाई के समय किसी अप्रिय दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

➢ मैनहोल्स कवर का क्षरण ऊपरी सतह पर ट्रैफिक के कारण तथा नीचे की सतह पर सीवर से उत्पन्न होने वाली गैसों के कारण होता रहता है जिसे नियमित अंतराल पर मैनहोल्स कवर को खोलकर उसकी भौतिक स्थिति का आकलन किया जाये और आवश्यकतानुसार मैनहोल्स कवर को बदल दिया जाये।

➢ मैनहोल्स के निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मैनहोल्स में मानक के अनुसार फुट स्टेप लगे हो. जिससे किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई मैनहोल्स में गिर जाये तो इन फुट स्टेप के द्वारा बचाव की कार्यवाही सुगमता पूर्वक की जा सके।

➢ जहॉ पर 600 मि०मी० से अधिक व्यास की सीवर लाइन बिछायी गयी हो जालीदार (परफोरेटेड) मैनहोल्स कवर का प्रयोग किया जाये, जिससे मैनहोल्स में उत्पन्न होने वाली गैस बाहर निकलती रहें तथा मैनहोल्स कवर की सतह का गैस के कारण क्षरण न हो।

➢ सीवर सफाई का कार्य यथा सम्भव उस समय किया जाये जब सीवर लाइन मे सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।

➢ सीवर सफाई से पूर्व कार्य स्थल को पूर्ण रूप से बैरिकेट किया जाये व सीवर कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड अवश्य लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि जनसामान्य जिज्ञासावश उसके नजदीक न आयें।

➢ सीवर की सफाई होने के तुरन्त पश्चात मैनहोल्स को अधिकतम 12 घण्टे के अन्दर ढके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाये। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में मैनहोल्स कवर का भण्डारण किया जाये। यदि किसी कारणवश मैनहोल्स कवर उपलब्ध न हो तो तत्कालीन रूप से मैनहोल्स को ढकने के लिए बीआरसी वेल्डेड फैब्रिक या वायर–नेट वाले डमी कवर का उपयोग किया जा सकता है।

➢ वाहनो को दुर्घटना से बचाने हेतु झांडियों, सूचना बोर्ड एवं रात में प्रकाश व लाइट रेफलेकटर का प्रयोग किया जाए जिससे जनसामान्य को सीवर सम्बन्धी कार्य के प्रगति पर होने की जानकारी प्राप्त हो सकें।

➢ सीवर सफाई के दौरान मैनहोल्स के अन्दर अथवा खुले मैनहोल्स के आस–पास धूम्रपान अथवा चिंगारी पैदा करने वाले उपकरणों के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया जाये।

➢ सीवरेज सिस्टम की मैपिंग की जाये जिससे कि मैनहोल्स/डक्ट के खुले होने की शिकायत के निस्तारण हेतु शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में निकाय द्वारा आवश्यक मदद उपलब्ध करायी जा सके।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त विवरण के अनुसार निर्धारित मानक संचालन प्रकिया (SOP) का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नदलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई.मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।